

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 04/2022. (Bank Case)

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा- रामपुरा बाजार, कोटा जिला-कोटा (राजस्थान)
- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स ए.जे. एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री आशीष मिततल (ऋणी)
पता- विजय मार्केट, सब्जी मण्डी की गली के पास, रामपुरा बाजार, कोटा
2. श्रीमति ममता अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार (बंधककर्ता)
पता- 10, घण्टाघर रोड से केतकी चोक की तरफ, रामपुरा बाजार, कोटा
दूसरा पता:-खसरा नं० 1181, ग्राम व ग्राम पंचायत कवाई, तहसील अटरू जिला-
बारां (राज०)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी



आदेश

दिनांक: 21/3/22

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रामपुरा बाजार, कोटा (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 29 फरवरी 2020 को 20,00,000/- रुपये (अक्षरे बीस लाख रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में श्रीमति ममता अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार की आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर-1181, ग्राम व ग्राम पंचायत कवाई तहसील अटरू जिला बारां जिसका कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा- पूर्व में श्री राजेन्द्र राजपूत का मकान, पश्चिम में श्री अजय गुर्जर का मकान, उत्तर में श्री चम्पालाल किराड का मकान, दक्षिण में आम रास्ता है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.10.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 19,97,477.22/- (अक्षरे उन्नीस लाख सतानवें हजार चार सौ सतहतर बाईस पैसे रुपये) बकाया राशि दिनांक 30.09.2021 तक शेष देय है व दिनांक 01.10.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक कर दी है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

य राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद त्तमलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार कमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 26.01.2022 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 20.01.2022 को प्रकाशित करवाया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता श्रीमति ममता अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार की आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर-1181, ग्राम व ग्राम पंचायत कवाई तहसील अटरु जिला बारां जिसका कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा- पूर्व में श्री राजेन्द्र राजपूत का मकान, पश्चिम में श्री अजय गुर्जर का मकान, उत्तर में श्री चम्पालाल किराड का मकान, दक्षिण में आम रास्ता है,, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के सांक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 21/3/2022 को सुनाया गया ।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिजिला मजिस्ट्रेट ट्रेट
बारां